न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—207/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/207)

1. सददीक पुत्र अनवर खां
2. गफार पुत्र अनवर खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम बबाईचा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरू खां पुत्र लाल खां मृतक जरिए वारिसानः—
   1/1 रमजानी पुत्र भंवरू
   1/2 बिलाल पुत्र भंवरू
   1/3 हुसैनी पत्नि भंवरू
2. कमरू खां पुत्र लाल खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम बबाईचा तहसील व जिला अजमेर।
3. पीर खां पुत्र नानू
4. हस्ती पुत्र बोदू
5. उमर खां पुत्र हजारी
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरजगढ तहसील डेगाना जिला नागौर।
6. मोहम्मद खां पुत्र बल्ला खां
7. इस्लाम पुत्र बाबू खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम बबाईचा तहसील व जिला अजमेर।
8. श्रीमती छोटी बैवा करीम खां
9. गनी पुत्र करीम खां
10. मोती खां पुत्र करीम खां मृतक जरिए वारिसानः—
    10/1 उजीर पुत्र मोती खां
    10/2 सददीक पुत्र मोती खां
11. जवरी खां पुत्र करीम खां
12. रोशन खां पुत्र करीम खां
13. बशीर खां पुत्र करीम खां
14. हुसैन खां पुत्र करीम खां
15. सूण्डे खां पुत्र हमर खां
16. कासिम खां पुत्र हमीर खां
17. खाजू खां पुत्र साबू
    समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरजगढ तहसील डेगाना जिला नागौर।
18. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 बबाईचा जरिए सचिव।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 12.06.2017 लोक अदालत एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर राजस्व वाद संख्या 90/2011

उपस्थितः—

1. श्री आशीष जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 व 2
3. श्री हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 19
5. रेस्पोडेंट संख्या 3, 5 से 18 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—05.02.2026

1. यह अपील लोक अदालत एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2011 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक राजस्व वाद के साथ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 24.10.2011 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया एवं दिनांक 12.06.2017 के द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने का आदेश पारित कर दिया। अतः लोक अदालत एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2011 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3, 5 से 18 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि लोक अदालत एवं सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिनांक 12.06.2017 को पारित किया गया प्रार्थी को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब अपीलांट अपनी आराजी से संबंधित कागजात की नकले लेने तहसील कार्यालय गया तब अपीलांट को बताया गया कि आपके विरूद्ध आदेश पारित हो रखे है तब प्रार्थी ने मालूमात की तो जानकारी हुई कि आदेश पारित किया हुआ है जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की एवं तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर आया और वकील साहब से संपर्क कर यह अपील तैयार करवाकर बिना किसी विलंब के आज न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। प्रार्थी गरीब काश्तकार व्यक्ति है इस कारण अपील पेश करने में जो विलं हुआ है वह उपरोक्त सदभाविक कारण होने के कारण क्षमा किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि लोक अदालत एंव सहायक कलक्टर मु० अजमेर द्वारा पारित आदेश अस्पष्ट कारण रहित, एंव नॉन स्पीकिंग आदेश होने से न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत एंव सहायक कलक्टर मु० अजमेर ने अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस दिये एंव बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये ही अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत एंव सहायक कलक्टर मु० अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान वादपत्र में वादी/रेस्पो० जो वादपत्र पेश किया गया है उक्त वादपत्र में प्रतिवादी सं० 5/1 अनु बेवा अनवर खां का देहान्त सन 2003 में

ही हो चुका था परन्तु वादी/रेस्पो० द्वारा सन 2011 में प्रस्तुत वादपत्र मे मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर वादपत्र पेश किया गया है। इस कारण वादी/रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से नलीटी है और काबिल खारीज किये जाने योग्य था किन्तु उक्त तथ्यों को भी परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत एंव सहायक कलक्टर मु० अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है इस कारण एक खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञां से पाबंद नहीं किया जा सकता है किन्तु परीक्षण न्यायालय ने एक खातेदार काश्तकार को विधिवत नोटिस दिये एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत एंव सहायक कलक्टर मु० अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी/अपीलांट की खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त पिछले काफी लम्बे से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आराजी पर अपीलांट के पिता अनवर खां पुत्र शकूर खां तथा शकूर खां के पिता सजवार खां विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे उक्त तथ्यों को अपीलांट ने विचाराधीन अपील मे पूर्णतया साबित किया गया था इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने एक खातेदार काश्तकार को जरिये टी.आई. से पाबंद करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। जो इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक अदालत एंव सहायक कलक्टर मु० अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दू रेस्पो० के पक्ष में साबित नहीं होते हुए भी अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में भी पारित आदेश इस अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया किं जिन प्रकरणों मे पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाता है उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है किन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को लोक अदालत का नोटिस दिये बिना एंव बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भूल की है जो इस अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व लोक अदालत एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2011 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की जरखरीद सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम बबाइचा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार नानू व साबू पुत्रान श्री सरदारा एवं मोहम्मद खां पुत्र बल्ला खां (बल्ला खां पुत्र सरदारा) प्रत्येक 1/3 हिस्से के अनुसार रिकार्डेड सह खातेदार थे। जिनमें से नानू पुत्र श्री सरदारा के वारिसान द्वारा उनका सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.5.1984 को प्रार्थीगण को विक्रय कर कब्जा व दखलं प्रदान कर दिया। जिसके आधार पर प्रार्थीगण के नाम

नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 2.9. 98 को तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया। लेकिन साबिक खसरा संख्या 974 हाल 1121 रकबा 4–11–0 बीघा के स्थान पर 00–16–00 बीघा विक्रय पत्र में सहवनवश अंकित कर दिया जबकि ख.नं. 1121 रकबा 04–11–00 के अनुसार ही क्रेतागण प्रार्थीगण कयशुदा 1/3 हिस्से पर क्रय दिनांक से शेष अप्रार्थीगण के साथ बहेसियत सह खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं इसीनुसार जमाबंदी के कॉलम संख्या 6 में दर्ज रकबेनुसार ही प्रार्थीगण में भूमि के स्वत्व निहित हुए है। खसरा संख्या 1124 रकबा 02–01–10 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं 1118 रकबा 05–10–00 बीघा प्रार्थीगण द्वारा क्रय नहीं की गयी है अतः इसे वाद में शामिल नहीं किया गया है तथा सारणी में अंकित आराजीयात से अनवर पुत्र शकूर खां का कोई लेना–देना नहीं है। लेकिन खसरा संख्या 1124 रकबा 02–01–10 बीघा को विक्रेतागण के खाते में दर्ज कर अनवर का नाम अंकित कर दिया। अतः उसके वारिसान को पक्षकार मुर्तिब किया गया है। विवादित भूमि से अनवर के वारिसान का कोई लेना–देना नहीं है। वर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 79 के आधार पर प्रार्थीगण का नाम विक्रेतागण के स्थान पर अमल दरामद किया गया है, लेकिन गैर कानूनी रूप से सायरी बेवा बोदू एवं धापू बेवा हजारी का भी नाम प्रार्थीगण के साथ दर्ज किया गया है, जबकि सायरी बेवा बोदू अपने पति बोदू पुत्र नानू के स्वर्गवास के पश्चात् पीर खां पुत्र नानू के नाते चली गयी, जिससे बोदू के हिस्से की भूमि में सायरी का कोई हक अधिकार एवं स्वत्व निहित नहीं रहा तथा बोदू के हिस्से की भूमि तन्हा हस्ती पुत्र बोदू में निहित हो गयी। इसी प्रकार उमर खां पुत्र हजारी खां द्वारा ही उसका सम्पूर्ण हक व हिस्सा विक्रय किया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया। जिससे धापू बेवा हजारी का विवादित भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। फिर भी अधिकार अभिलेख में धापू बेवा हजारी का नाम दर्ज कर रखा है जबकि उसके हिस्से की भूमि भी प्रार्थीगण पूर्व में ही क्रय कर चुके है। वैसे भी कुल भूमि में 1/9 हिस्सा हजारी का निहित है और मुस्लिम विधि के अनुसार धापू का हजारी के हिस्से की भूमि में 1/8 हिस्सा निहित है इस प्रकार धापू बेवा हजारी का उक्त 1/72 हिस्सा बनता है जो पूर्व में ही प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया जा चुका है। अतः अधिकार अभिलेख से सायरी बेवा बोदू (पूर्व पति) वर्तमान धर्मपत्नि श्री पीर खां (सायरी भी फौत हो चुकी है) तथा धापू बेवा हजारी का नाम अधिकार अभिलेख में त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है जो तर्क किया जाकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर कुल आराजीयात में से 1/3 हिस्से के अनुसार दर्ज की जाना वांछित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक होने का नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से खेत जोतने, बोने, निराई, गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने अर्थात् प्रत्येक समय झगडा व फसाद करते है तथा बिना बंटवारा करवाए वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग को विक्रय करने पर सख्त आमादा है, जैसा कि मोहम्मद खां पुत्र बल्ला खां द्वारा हाल ही में खसरा संख्या 1091 मिन रकबा 21–12–10 बीघा में से 400/2883 हिस्सा इस्लाम पुत्र बाबू खां को विक्रय किया गया है। इसी कारण उसे पक्षकार मुर्तिब किया गया है एवं अन्य सह खातेदारान भी उनके हिस्से से अधिक एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि मे से रहन, बेचान, मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है जिससे अब संयुक्त काश्त किया

जाना सभंव नहीं है अतः भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जाना वांछित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते बंटवारा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि हडप करने के इरादे से खेत जोतने, बोने, निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने अर्थात प्रत्येक समय झगडा व फसांद करते है तथा बिना बंटवारा करवाये वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग को विक्रय करने पर सख्त आमादा है, जैसा कि मोहम्मद खां पुत्र बल्ला खां द्वारा हाल ही में खसरा संख्या 1091 मिन रकबा 21–12–10 बीघा में से 400/2883 हिस्सा इस्लाम पुत्र बाबू खां को विक्रय किया गया है एवं अन्य सह खातेदारान भी उनके हिस्से से अधिक एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि मे से रहन, बेचान, मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी जरखरीद सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात से महरूम हो जायेगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना वांछित है। जिस हेतु उक्त वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण सेवा में प्रस्तुत किया गया है। सर्व प्रथम वाद कारण प्रार्थीगण की जरखरीद खातेदारी की भूमि में से सायरी बेवा बोदू व धापू बेवा हजारी के नाम भूमि दर्ज करने, तत्पश्चात मोहम्मद खां वल्द बल्ला खां द्वारा खसरा संख्या 1091 मिन में से 400/2883 हिस्सा इस्लाम को विक्रय करने तत्पश्चात दिनांक 13.7.2011 को अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की क्रय शुदा 1/3 हिस्से की आराजीयात प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने एवं सायरी तथा धापू का नाम तर्क करवा कर भूमि का आपसी बंटवारा हेतु कहने पर उनके द्वारा कठोर शब्दों में इंकार कर प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात अन्यत्र रहन, बेचान, मुन्तकिल करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा भविष्य में बंटवारा हेतु कहने पर खेतों पर कदम नहीं रखने देने की धमकी देने से उत्पन्न होकर आज दिनांक लगातार जारी है। अप्रार्थीगण सायरी एवं धापू का त्रुटिपूर्ण रूप से नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीगण की खरीद शुदा 1/3 हिस्से की भूमि में से एवं अन्य सह खातेदारान उनके हिस्से की भूमि में से बिना बंटवारा करवाये विशिष्ट भू भाग का रहन, बेचान, मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने में प्रयासरत है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी जरखरीद सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2011 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2011 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी दिनांक 08.12.2011 तक पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.04.2013 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 13.08.2013 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किए बिना ही दिनांक 12.06.2017 को अप्रार्थी/अपीलांट को पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.10.2011 को ताफैसला मूल वाद तक कन्फर्म किए जाने के आदेश पारित किए गए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 5/1 अनु बेवा अनवर खां को वर्ष 2011 में प्रस्तुत वादपत्र में बतौर पक्षकार कायम किया गया, परंतु अनु का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 02.02.2003 को हो चुकी थी। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति को पक्षकार कायम कर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जो कि नल एण्ड वाईड की श्रेणी में आता है।

न्यायिक दृष्टांत 2017(2)आरआरटी 1047 सुप्रीम कोर्ट

Judgment passed against a deed person is without jurisdiction & nullity.

2011(1)आरआरटी 64

order passed against a dead person is void.

2010(2)आरआरटी 1207

suit filed against the dead person rightly dismissed

पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में अपीलांट/अप्रार्थी विवादित आराजीयात के खातेदार/काश्तकार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके तहत एक रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जा सके तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 में वर्णित तीन बिंदु यथा– प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निर्णय सरसरी तौर पर किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का जवाब भी प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में तीनों बिंदुओं को निर्धारित करते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना किसी आधार व फाईण्डिंग के नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि जिन प्रकरणों मे पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाता है उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है। परंतु वर्तमान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा व आपसी सहमति नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को लोक अदालत का नोटिस व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रकरण का निस्तारण एकपक्षीय रूप से किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक अदालत एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2011 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान कर उनके समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 का निस्तारण कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आवश्यक बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.03.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर